



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर  
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9( )आ.फा./न.नि.ज/17/५२। दिनांक:- ११-६-१८

प्रेषितः—

✓ श्री नरेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह राठौड़, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़  
जरिये साझेदार,  
रत्नावत इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सट्रक्शन कम्पनी एल.एल.पी.,  
निवासी जयपुर।

**विषयः—** खसरा संख्या 35 पार्ट ग्राम भोजपुरा सहकार मार्ग सी स्कीम जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

**प्रसंगः—** आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2016 के सदर्भ मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 23.09.2016 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरिक्षण किया गया आवेदक श्री नरेन्द्र सिंह जरिये साझेदार रत्नावत इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एल.एल.पी खसरा संख्या 35 पार्ट ग्राम भोजपुरा सहकार मार्ग सी स्कीम जयपुर में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर/रीको/रा०हा०बो० द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीन्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्ट्रीकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को, लोवर बेसमेन्ट, मिडिल बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट, ग्राउण्ड/स्टील्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से 19वीं मजिल, टैरस व मशीन रूम तक 66.71 मीटर ऊचाई की आवासीय भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को

- प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनिमय 2010 के अनुरूप न्यूनतम 20 फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कानी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
  7. अस्थाई अग्निशमन अभिषेशां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/ विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
  9. भवन में धुओं निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी। व एन.बी.सी के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छाड़ना होगा।
  10. आवेदक को फायर अनापत्ति शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी।
  11. जयपुर विकास प्राधिकरण विनिमय 2010 की पालना अनिवार्य होगा।
  12. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये मान्य होगी अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानता राशि जप्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा आवेदक का जमा अमानता शुल्क जप्त किया जा सकेगा।

*Jd*  
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
 नगर निगम जयपुर  
*मुख्य अग्निशमन अधिकारी*  
 नगर निगम जयपुर

#### प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

*Sd*  
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
 नगर निगम जयपुर